राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग

सं. एफ 5(2)डीओपी/ए-II/2011 जयपुर, दिनांक: 6.2.2024

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक और राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 (2007 का अधिनियम सं. 14) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान सिविल सेवा (आतंकवाद निरोधक दस्ते में व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्तें) नियम, 2011 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान सिविल सेवा (आतंकवाद निरोधक दस्ते में व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये 01.01.2017 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. **अनुसूची-II का संशोधन.-** राजस्थान सिविल सेवा (आतंकवाद निरोधक दस्ते में व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्तें) नियम, 2011 से संलग्न अनुसूची-II में विद्यमान शर्त 1 और 2 और उनकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"1. **वेतनमान.-** अनुसूची-I में उल्लिखित पद पर नियुक्त होने पर अधिकारी/पदधारी वही वेतन आहरित करेगा/करेगी जो वह नियुक्ति (अधिष्ठायी या स्थानापन्न हैसियत में) से ठीक पूर्व विद्यमान पद के लिए विहित राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के अधीन वेतन मैट्रिक्स के वेतन लेवल में आहरित कर रहा था/रही थी। वेतनवृद्धि की अगली तारीख अपरिवर्तित रहेगी।

2. **जोखिम भत्ता.-** दस्ते में नियुक्त किये गये राजस्थान पुलिस सेवा और राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा के अधिकारी/पदधारी को दस्ते में उनकी सेवावधि के दौरान राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के अधीन वेतन

मैट्रिक्स में के वेतन लेवल में आहरित मूल वेतन के 12% की दर से विशेष जोखिम भत्ता संदत्त किया जायेगा:

परंतु भारत सरकार के या राज्य के किसी भी विभाग से कार्य के लिए अपेक्षित विशेष या तकनीकी अर्हताएं रखने वाले ऐसे किसी अधिकारी को भी जोखिम भत्ता संदत्त किया जायेगा जिसे नियम 8 के परंतुक के अनुसार दस्ते में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया है।

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

(जय सिंह)
संयुक्त शासन सचिव।

1/2024